RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०१९/वैशाख ५-११, शके १९४१ [पृष्ठे ४४

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१७.— महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१७.— महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१७.— महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१७.— महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	१७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१७.— महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१७। . .	२०

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2017.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE, MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, ५ जुलाई, २०१६ को प्रख्यापित किया था ; सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १५।

और क्योंकि १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में उपांतरण करने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१६ (सन् २०१६ का विधान सभा विधेयक क्र. २४) महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा ३ अगस्त, २०१६ को पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि उसके पश्चात्, ५ अगस्त, २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्रावसान होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित, राज्य विधान मंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह अवसित होने पर, अर्थात् २८ अगस्त, २०१६ के पश्चात्, उक्त अध्यादेश प्रवृत्त न होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका ता कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रचालन जारी रहने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २०।

और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (द्वितीय संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे "उक्त जारी रहना अध्यादेश कहा गया है) ३० अगस्त, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह ५ जुलाई, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

सन् १९६४ का महा. २०।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ की उप-धारा (१) में,—

(क) खण्ड (च-१क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (च-१ख) ' इ-विपणन ' का तात्पर्य, उसके आनुषंगिक क्रियाकलापों के साथ कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के ज़रिए विपणन से है ; " ;

(ख) खण्ड (ज) में, " सहायक बाजार " शब्दों के पश्चात्, " धारा ५ के अधीन " शब्द, अंत में जोडे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६, की उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा, धारा ५ के अधीन स्थापित बाजार से बाहर अनुसूची के मद **सात**-फलों, **आठ**-सब्जियों की सभी प्रविष्टियाँ तथा मद **दस** मसाले, **मसालेदार** वस्तू तथा अन्य वस्तू की प्रविष्टियाँ (२), (३), (४) तथा (५) में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए, धारा ५घ में उपबंधित के सिवाय, किसी अनुज्ञप्ति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा बाजार समिति द्वारा विनियमित नहीं किया जायेगा। "।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,—

(क) उप-धारा (१) के, तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह और कि, कोई ऐसी फीस, कृषि उपज के संबंध में, किन्ही बाजार क्षेत्र में, जिसके संबंध में फीस, इस धारा के अधीन, किन्हीं अन्य बाजार समिति, निजी बाजार, कृषि-उपभोक्ता बाजार, विशेष वस्तू बाजार या राज्य में सीधे विपणन के अधीन, पहले से ही उदग्रहित या संग्रहित की गई है या किसी बाजार क्षेत्र में किन्ही यंत्रणा या श्रमिकों की सहायता के बिना चलाऐ रहे उद्योग में जुडे व्यक्ति द्वारा क्रय किये गये घोषित कृषि उपज के संबंध में उदग्रहीत या संग्रहित नहीं की जायेगी।";

(ख) उप-धारा (२) में, " कमिशन एजंट द्वारा " शब्दों के स्थान में, " क्रयकर्ता से कमिशन एजंट द्वारा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (द्वितीय संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २०।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १३।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १७ जून, २०१६ को प्रख्यापित किया था ।

और क्योंकि १८ जुलाई २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१६ (वि. स. विधेयक क्र. २५ सन् २०१६) २७ जुलाई २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ; और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ; और उस सदन के चयन समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २८ अगस्त २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २१।

और, इसलिए, महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे "उक्त जारी रहना अध्यादेश" कहा गया है) ३० अगस्त, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है,अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जल स्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

(२) यह १७ जून २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् २००५ का महा. १८ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र जल स्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (पाँच) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. १८ ।

"(पाँच-१) " विशेष निमंत्रित " का तात्पर्य, धारा ४ की उप-धारा (१) का खण्ड (च) के अधीन प्राधिकरण के लिए नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति से है ; "।

सन् २००५ का महा. १८ की धारा ३ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की,—

(क) उप-धारा (३) में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगा कि, प्राधिकरण का मुख्यालय उक्त अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी अन्य जगह पर होगा । " ;

(ख) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

" (४) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य चार सदस्यों से मिलकर बनेगा । " ।

सन् २००५ का महा. १८ में नयी धारा ३क की निविष्टि ।

४. मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

मध्यवर्ती कालावधि के दौरान, जब प्राधिकरण पुनर्गठित नहीं किया गया है, तब प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग आदि के लिये समिति को नियुक्त करने की शक्ति ।

" **३क.** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जिस किसी भी कारण के लिए, जब प्राधिकरण धारा ३ की उप-धारा (५) के अधीन पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है तब, प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्यों तथा कर्तव्यों का राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त की जानेवाली समिति द्वारा प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन किया जा सकेगा, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव या उससे समतुल्य पद धारण करनेवाला व्यक्ति, जो अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा और सचिव (जल स्त्रोत प्रबंधन तथा कमान क्षेत्र विकास), जल स्रोत विभाग तथा प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, जो उसके सदस्यों के रुप में कार्य करेगा का समावेश होगा ; तथा उक्त समिति, छह महिनों की अवधि के अवसित होने के पश्चात् या जब प्राधिकरण सम्यक्तया पुनर्गठित हो, जो भी पहले हो, प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने, कृत्य का अनुपालन या कर्तव्यों का निर्वहन करने से परिविरत होगी । "।

सन् २००५ का महा. १८ की धारा ४ का प्रतिस्थापन।

५. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्य तथा विशेष निमंत्रितों के लिए अर्हताएँ ।

" **४.** (१) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और विशेष आमंत्रित, निम्नलिखित रुप में नियुक्त किए जाएँगे :—

(क) अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव या उसके समतुल्य श्रेणी का राज्य सरकार का अधिकारी या उच्च न्यायालय का निवृत्त न्यायाधीश है या था ;

(ख) एक सदस्य, जल स्रोत इंजीनियरिंग के क्षेत्र से विशेषज्ञ होगा ;

(ग) एक सदस्य, आर्थिक के क्षेत्र से विशेषज्ञ होगा ;

(घ) एक सदस्य, भूजल प्रबंधन के क्षेत्र से विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) एक सदस्य, विधि के क्षेत्र से विशेषज्ञ होगा ;

(च) पाँच विशेष आमंत्रित, प्राधिकरण की सहायता करने के लिए, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्रत्येक नदी किनारा एजेंसी क्षेत्र से एक आमंत्रित पर्याप्त ज्ञान, अनुभव रखनेवाला या जल संसाधन इंजीनियरिंग, कृषि, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पेय जल, उद्योग, विधि, अर्थ, वाणिज्य, वित्त या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का निपटान करने में क्षमता सिद्ध करनेवाला होगा :

परंतु, कम से कम एक विशेष आमंत्रित महिला होगी :

परंतु आगे यह कि, कोई भी दो विशेष आमंत्रित एक ही क्षेत्र या क्षेत्रों के समूह से नहीं होंगे ।

(२)(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, योग्यता, ईमानदारी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

(ख) प्राधिकरण के सदस्य, योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो उनके संबंधित क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं से निपटान में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव में नाम है तथा परिसिद्ध क्षमता दिखाने वाले हों :

परंतु, धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) से (च) में उल्लिखित सदस्य और विशेषज्ञ किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखनेवाले होंगे और उनके अपने संबंधित क्षेत्र में अर्हता प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बीस वर्षों से अनिम्न अनुभव रखने वाले होंगे ।

(३) प्राधिकरण का कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा ।

(४) कोई भी व्यक्ति, यदि वह आयु के सड़सठ वर्ष पूर्ण करता है तो अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रुप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।''।

६. मूल अधिनियम की धारा ५ की, — सन् २००५ का महा. १८ की धारा ५ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, धारा ३ की उप-धारा (५) के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए,—

(क) मुख्य सचिव	:	पदेन अध्यक्ष।
(ख) सचिव, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग	:	पदेन सदस्य।
(ग) सचिव, (डब्लू आर एम एवं सीएडी), जल स्त्रोत विभाग	:	पदेन सदस्य।
(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	:	पदेन सदस्य।
(ङ) किसी विख्यात संस्था से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति	:	सदस्य।
(च) सचिव, (डब्लू आर पी एवं डी), जल स्त्रोत विभाग, से मिलकर एक चयन समिति का गठन करेगी ।	:	पदेन सदस्य-सचिव।'';

(ख) उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(७) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संपूर्ण चयन प्रक्रिया और रिक्ति को भरने के लिए इसके परिणाम की सभी प्रासंगिक जानकारी को जल स्त्रोत विभागों के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ''।

७. मूल अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. १८ की धारा ६ में संशोधन ।

"(१) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, जिस पर उसने अपना पद ग्रहण किया है, उस दिनांक से, तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परंतु, अध्यक्ष या अन्य सदस्य, धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर किंतु, दो लगातार अवधि से अनधिक नहीं के लिये पुनर्नियुक्त किया जायेगा :

परंतु यह और भी कि, कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य, सत्तर वर्षों की आयु पूरी करने के पश्चात्, पद धारण नहीं करेगा ।" ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २१ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

८. (१) महाराष्ट्र जल स्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण (संशोधन तथा जारी रहना), अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१६ का महा. अध्या. २१।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2017.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हि. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अधिनियम ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ९।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १९ मई, २०१६ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) विधेयक, २०१६, (वि. स. विधेयक क्र. २६ सन् २०१६), २६ जुलाई, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ; और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात् महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त, २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन: समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २८ अगस्त, २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे "उक्त जारी रहना अध्यादेश" कहा गया है) ३० अगस्त, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

(२) यह १९ मई, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) में,— सन् १९४९ का ५९।

(क) प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा. ९ ।

" परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, निगम के आम निर्वाचनों के संबंध में, प्रत्येक वार्ड के लिए यथासंभव चार पार्षद परंतु, पार्षद तीन से कम नहीं हों और पाँच से अधिक नहीं हों निर्वाचित किये जाएंगे और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मतदाता, अपने वार्ड में निर्वाचित होने के लिए पार्षदों की जो संख्या है, उतने ही समान मत देने के हकदार होंगे : " ;

(ख) प्रथम परंतुक में, " परंतु " शब्द के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जाएँगे।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अधिनियम में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन ।

३. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " नगर परिषद अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९६५ का महा. ४०।

(क) खण्ड (७) में, :—

(एक) " परिषद का सदस्य ", शब्दों के पश्चात्, " सीधे निर्वाचित अध्यक्ष " शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) उप-खण्ड (दो) में, " परिषद का अध्यक्ष या " शब्द अपमार्जित किए जाएँगे ;

(ख) खण्ड (१२) के स्थान में, निम्नलिखित खण्ड, रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (१२) " निर्वाचन " का तात्पर्य, परिषद या, यथास्थिति, अध्यक्ष के पद के निर्वाचन से है और उसमें अन्य उप-निर्वाचन शामिल है ; "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९ में संशोधन ।

४. नगर परिषद अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " पार्षद " शब्दों के स्थान में, " अध्यक्ष और पार्षद " शब्द रखे जाएँगे ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन ।

५. नगर परिषद अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक, जोडा जाएगा, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा. ९।

" परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, **नगर परिषद** के आम निर्वाचनों के संबंध में, प्रत्येक वार्ड के लिए यथासंभव दो पार्षद परंतु तीन पार्षदों से अधिक नहीं हों, निर्वाचित किये जायेंगे और धारा १४ की उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मतदाता अपने वार्ड में निर्वाचित होने के लिए पार्षदों की जो संख्या है, उतने ही समान मत देने के हकदार होंगे। "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ क-१क का निवेशन ।

६. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१ के पश्चात्, निम्न धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन ।

सन् २०१७ का महा. ९।

" **५१ क-१क.** (१) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचनों के संबंध में, धारा ५१ क-१क के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक परिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसे उन व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जिनके नाम धारा ११ के अधीन तैयार की गई नगर निगम मतदाता सूची में शामिल हैं।

(२) धारा १५ के अधीन पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए प्रत्येक अर्हित व्यक्ति, निर्वाचन में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा।

(३) अध्यक्ष का निर्वाचन, परिषद के आम निर्वाचनों के साथ-साथ होगा और परिषद के निर्वाचन कराने संबंधी प्रक्रिया, **यथावश्यक परिवर्तन सहित,** ऐसे निर्वाचन को लागू होगी।

(४) यदि निर्वाचन में, अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है तो, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नया निर्वाचन होगा और यदि नये निर्वाचन में अध्यक्ष को निर्वाचित करने में असफल होते हैं तो ऐसी रिक्ति, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनके बीच से निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

(५) उप-धारा (४) या (७) के अधीन निर्वाचित कोई भी व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्वाचन में सम्यक रूप से निर्वाचित समझा जाएगा।

(६) यदि, अध्यक्ष के निर्वाचन में, मतों की समानता है तब निर्वाचन के परिणाम का विनिश्चय इस प्रयोजन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा लाट में चिठ्ठी निकालकर किया जाएगा।

(७) यदि, निर्वाचित पार्षदों की पदावधि के दौरान, किसी कारणवश अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है तो, उप-धाराएँ (१) से (६) में यथा उपबंधित समान प्रक्रिया लागू होगी और ऐसा अध्यक्ष, केवल उस कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद पर बना रहेगा परंतु, ऐसी आकस्मिक रिक्ति के लिए जिसके लिए उसके पद-पूर्ववर्ती की पदावधि शेष रही होगी :

परंतु, यदि ऐसी कोई रिक्ति, जो उस दिनांक से जिस दिनांक को निर्वाचित पार्षदों की पदावधि समाप्त हुई है, ऐसे दिनांक से छह महीनों के भीतर, हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति, निर्वाचित पार्षदों के बीच से निर्वाचन द्वारा भर दी जाएगी।

(८) अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद होने की दशा में, धारा २१ के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगे।

(९) कलक्टर, परिषद और अध्यक्ष के आम निर्वाचन के पश्चात्, जिस दिनांक को अध्यक्ष और निर्वाचित पार्षदों के नाम **राजपत्र** में प्रकाशित होते हैं उस दिनांक से पच्चीस दिनों के भीतर, परिषद की प्रथम साधारण बैठक बुलाएगा। धारा ९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन पार्षदों का नामनिर्देशन, इस बैठक में विहित रीत्या में किया जाएगा।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ क में संशोधन ।

७. नगरपरिषद अधिनियम की धारा ५१ क में, उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(६क) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के पश्चात्, वह नगर परिषद जिसमें अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते है, के संबंध में, इस धारा के उपबंध, निम्न उपांतरण के साथ लागू होंगे, :— सन् २०१७ का महा. ९।

(एक) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(१) प्रत्येक नगर परिषद का एक उपाध्यक्ष होगा, जो धारा ५१ क-१ क की उप-धारा (९) के अधीन बुलाई गई प्रथम सामान्य बैठक में निर्वाचित पार्षदों में से उनके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। ";

(दो) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(६) इस अधिनियम की धारा ५५ क के उपबंधों तथा अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उपाध्यक्ष उसके निर्वाचन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा उसकी अवधि परिषद की अवधि के साथ सह-पर्यवसित होगी।"।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ ख में संशोधन ।

८. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१ ख की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के उपबंध, तब तक लागू नहीं होगें जब तक अध्यक्ष, धारा ५१ क-१ क के अधीन निर्वाचित हो गया है।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५२ में संशोधन ।

९. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५२, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी तथा इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ, जोड़ी जोयेंगी, अर्थात् :—

"(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५१ क-१ क की उप-धारा (१) के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि, पाँच वर्षं की होगी तथा परिषद की अवधि से वह सह-पर्यवसित होगी।

(३) उप-धारा (२) में कोई भी बात, अध्यक्ष की पदावधि को लागू नहीं होगी जिन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व सामान्य निर्वाचन से अध्यक्ष के पद धारण किए है तथा इस धारा के उपबंध, ऐसे प्रारम्भण के दिनांक से तत्काल अग्रता से ऐसे अध्यक्षों के पद की अवधि के संबंध में निरंतर लागू होंगे। "। सन् २०१७ का महा. ९।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५ में संशोधन ।

१०. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५५ की, उप-धारा (१) के, परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर तथा पार्षदों द्वारा उनमें से निर्वाचित किए गये अध्यक्ष के मामले में, ऐसे निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऐसा संकल्प नहीं लाया जायेगा। "।

सन् १९६५ का महा. ४० में धाराएँ ३४१ ख-१ से ३४१ ख-६ का निवेशन।

११. नगर परिषद अधिनियम की धारा ३४१ ख के पश्चात्, निम्न धाराएँ, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"**३४१ ख-१.** (१) धारा ५१-१ क के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक **नगर पंचायत** का एक अध्यक्ष होगा जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनमें से निर्वाचित किया जायेगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन।

(२) कलक्टर, **नगर पंचायत** के लिए निर्वाचित पार्षदों के नाम प्रकाशित या, यथास्थिति, धारा १९ की उप-धारा (१) के अधीन **राजपत्र** में प्रथम प्रकाशित होने के दिनांक से पच्चीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्षदों की विशेष बैठक आयोजित करेगा :

परंतु, यह कि, इस धारा के अधीन बैठक, पदावरोही पार्षदों का पदावधि अवसित होने के पूर्व नहीं ली जायेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कलक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त में लिखित में आदेश द्वारा कलक्टर नियुक्त कर सकेगा। कलक्टर या ऐसे अधिकारी को, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होगी जैसी **नगर पंचायत** के अध्यक्ष की बैठक करते समय नगर पंचायत के अध्यक्ष को प्राप्त होती है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैठक की प्रक्रिया के विनियमन के लिए (उसमें आवश्यक गणपूर्ति समेत) ऐसी बैठक की अध्यक्षता में कलक्टर या अधिकारी ऐसे कारणों के लिए जो उनकी राय में पर्याप्त है, तो ऐसी बैठक स्थगित करने से इन्कार कर सकेगा।

(४) किसी नामनिर्देशनपत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कलक्टर या ऐसे अधिकारी के निर्णय द्वारा व्यथित कोई पार्षद, ऐसे निर्णय की सूचना से अड़तालीस घंटो के भीतर, संबंधित नगर प्रशासन के प्रादेशिक निदेशक को अपील प्रस्तुत कर सकेगा, तथा साथ-साथ ऐसे अपील की सूचना कलक्टर या ऐसे अधिकारी को दे सकेगा। ऐसा अपील, प्रादेशिक निदेशक द्वारा, संबंधित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र निपटाया जायेगा। ऐसे अपील पर प्रादेशिक निदेशक का निर्णय तथा ऐसे निर्णय के अध्यधीन (यदि कोई हो) कलक्टर या, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी का स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

(५) यदि, अध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत मिलते है तो निर्वाचन के परिणाम लाट में चिठ्ठी द्वारा कलेक्टर या ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जैसे वह निर्धारित करे ऐसे रित्या में उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया जायेगा।

(६) अध्यक्षता के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो, राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, उनका निर्णय इस निमित्त अंतिम होगा।

(७) अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात्, **नगर पंचायत,** उनकी बैठक उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए आगे जारी रखेगी।

(८) यदि, चाहे किसी भी सम्यक कारण से अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है तो अध्यक्ष के पश्चातवर्ती निर्वाचन के लिए, उप-धारा (२) से (६) में (दोनों मिलकर) यथा अधिकथित समान प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन यह कि कलक्टर, जिस दिन पर रिक्ति पाई जाती है उस दिनांक से पच्चीस दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा।

(९) उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष का ढाई साल का पहला कालावधि अवसित होने के पश्चात्, पश्चातवर्ती निर्वाचन, पूर्वतर अध्यक्ष की उक्त अवधि के अवसित होने के पूर्व आठ दिनों के भीतर लिया जायेगा :

परंतु, नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदावरोही अध्यक्ष के अवधि के अंतिम दिन या उसके बाद दूसरे दिन पर अपना कार्यभार लेगा।

"**३४१ ख-२.** (१) प्रत्येक **नगर पंचायत** का एक उपाध्यक्ष होगा, जो धारा ३४१ ख-१ की उप-धारा (२) के अधीन बुलाई गई विशेष बैठक में से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। **नगर पंचायत** के उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

(२) उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक में, कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से नामित ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करेगा परंतु, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैठक की प्रक्रिया के विनियमन के लिए (उसमें आवश्यक गणपूर्ति समेत) कलक्टर या, यथास्थिति, अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले पर्याप्त कारणों के लिए उनकी अध्यक्षता की ऐसी बैठक स्थगित करने से इन्कार करेगा।

(३) यदि, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों में समानता हो तो, निर्वाचन के परिणाम, लाट में चिठ्ठी निकालकर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करनेवाले अधिकारी द्वारा विनिर्णय किया जायेगा।

(४) इस प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम, कलक्टर द्वारा, ऐसे निर्वाचन के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, **राजपत्र** में, अधिसूचित किया जायेगा।

(५) उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो, राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

(६) इस अधिनियम की धारा ५५क के उपबंधों तथा अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उपाध्यक्ष, उनके निर्वाचन के दिनांक से ढ़ाई वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(७) यदि चाहे किसी भी कारणों के लिए उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति पाई जाती है तो उप-धारा (१) से (३) में विहित प्रक्रिया अपना कर वह रिक्ति भरी जायेगी तथा इसी प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष केवल शेष अवधि के लिए, पद में रहेगा जो उसके पूर्वाधिकार की अवधि के रिक्ति के बाद का हो।

नगर पंचायत के पार्षदों का नामनिर्देशन।

३४१ख-३. (१) कलक्टर, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से सात दिनों के भीतर, पार्षदों के नामांकन के प्रयोजन के लिये विशेष बैठक बुलाएगा ।

(२) धारा ९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन, पार्षदों के नामनिर्देशन विहित रित्या मे होंगे।

(३) उप-धारा (१) के अधीन बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कलक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा, कलक्टर नियुक्त कर सकेगा। कलक्टर या ऐसे को अधिकारी, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करते समय, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जैसी नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करते समय **नगर पंचायत** के अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, बैठको में प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये (उसमें आवश्यक गणपुर्ति के समेत), ऐसी बैठक की अध्यक्षता करनेवाला कलक्टर या अधिकारी कारणों के लिये, जो उसकी राय में पर्याप्त है, ऐसी बैठक स्थगित करने से इनकार कर सकेगा।

नगर पंचायत के अध्यक्ष की पदावधि।

३४१ख-४. अध्यक्ष की पदावधि, ढ़ाई वर्ष की होगी।

पार्षदों द्वारा **नगर पंचायत** के अध्यक्ष को हटाना।

३४१ख-५. (१) **नगर पंचायत** का अध्यक्ष, अध्यक्ष होने से परिविरत हो जायेगा यदि, पार्षदों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अनिम्न बहुमत द्वारा विशेष बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा ऐसा करने का विनिश्चय करते हैं :

परंतु, ऐसा कोई संकल्प, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर लाया नहीं जायेगा।

(२) ऐसी विशेष बैठक के लिये आवश्यकताएँ, पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनून द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और कलक्टर को भेजी जायेगी।

(३) कलक्टर, उप-धारा (२) के अधीन आवश्यकताओं की प्राप्ति के दिनांक से दस दिनों के भीतर, परिषद की विशेष बैठक आयोजित करेगा :

परंतु, जब कलक्टर विशेष बैठक का आयोजन करेगा, तब वह उसकी सूचना अध्यक्ष को देगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन, संकल्प का विचार करने के लिये बैठक की अध्यक्षता कलक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायेगी, किंतु, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(५) नामनिर्देशित पार्षदों को, अध्यक्ष को हटाने से संबंधित किसी संकल्प पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(६) यदि, अध्यक्ष को हटाने में आशयित संकल्प उप-धारा (३) के अधीन के प्रयोजन के लिये आयोजित विशेष बैठक में संचालित नहीं होता या, यथास्थिति, अस्वीकार होता है तो, अध्यक्ष को हटाने में आशयित कोई भी नया संकल्प, **नगर पंचायत** के समक्ष लाया नहीं जायेगा।

पार्षदों द्वारा **नगर पंचायत** के उपाध्यक्ष को हटाना।

३४१ख-६. (१) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष होने से परिविरत हो जायेगा, यदि पार्षदों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अनून बहुमत द्वारा विशेष बैठक में, **नगर पंचायत** द्वारा पारित संकल्प द्वारा ऐसा करने के लिये विनिश्चय किया जाता है :

परंतु, ऐसा कोई संकल्प, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर लाया नहीं जायेगा।

(२) ऐसी विशेष बैठक के लिये आवश्यकताएँ, पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनून द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और अध्यक्ष को भेजी जायेगी, तथा अध्यक्ष, ऐसी आवश्यकताओं की प्राप्ति के दिनांक से दस दिनों के भीतर, **नगर पंचायत** की विशेष बैठक का आयोजन करेगा, जहाँ नामनिर्देशित पार्षदों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(३) यदि, उपाध्यक्ष को हटाने में आशयित संकल्प, उप-धारा (२) के अधीन के प्रयोजन के लिये आयोजित विशेष बैठक में संचालित नहीं होता या अस्वीकार होता है, तब ऐसे हटाने के लिये कोई भी संकल्प, ऐसे उपाध्यक्ष की कालावधि के दौरान नहीं लाया जायेगा।''।

अध्याय चार

विविध

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

१२. इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत हो तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसित होने के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१६ का महा. अध्या. १६ का निरसन और व्यावृत्ति।

सन् २०१६ का महा. अध्या. १६। सन् १९४९ का ५९।

१३. (१) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) और जारी रहना अध्यादेश, २०१६, एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और नगर परिषद अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2017.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १२।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १६ जून, २०१६ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २०१६ (वि. स. विधेयक क्र. २७, सन् २०१६), २० जुलाई, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ; और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त, २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात्, २८ अगस्त, २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए,

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १७।

महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "उक्त जारी रहना अध्यादेश" कहाँ गया हैं) ३० अगस्त, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं, अतः, भारत गणराज्य के सड़सठ़वें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता हैं :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारभ्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह १६ जून, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५में संशोधन।

२. महानगर नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अधिनियम में, "नगर निगम अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५ की, उप-धारा (२), के खण्ड (क) की तालिका में,— सन् १९४९ का ५९।

(क) प्रविष्टि (तीन) के स्तंभ (२) में, "१४५ से अनधिक होगा" शब्दों तथा अंकों के स्थान में, "१५१ से अनधिक होगा" शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि (चार) के स्थान में, निम्न प्रविष्टियाँ, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(चार) २४ लाख से उपर तथा ३० लाख तक।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १५१ होगी। २४ लाख से उपर प्रत्येकी अतिरिक्त ५०,००० की जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा, तथापि, इस प्रकार से निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या १६१ से अनधिक होगी।
(पाच) ३० लाख से उपर।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १६१ होगी। ३० लाख से उपर प्रत्येकी १ लाख की प्रत्येकी अतिरिक्त जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा। तथापि, इस प्रकार से अधिकतम निर्वाचित पार्षदों की संख्या १७५ से अधिक नहीं होगी।"।

अध्याय तीन

विविध

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

३. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन असंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १७।

४. (१) महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। २०१६ का महा. अध्या. क्र. १७ का निरसन तथा व्यावृती।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत)इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिती, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2017.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (EXCESS EXPENDITURE) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEYS OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNTS SPENT ON CERTAIN SERVICES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2010, IN EXCESS OF THE AMOUNTS GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १३ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की समेकित निधि में से इकतीस मार्च २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्धार्थ अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, इकतीस मार्च, २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्षावधि में कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

राज्य की समेकित निधि में से वर्ष २००९-२०१० के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए ६ अरब, ४८ करोड़, ४८ लाख, १० हजार रुपये देना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें ऐसी रकम, जो उसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकम, जो कुल मिलाकर छह अरब, अड़तालीस करोड़, अड़तालीस लाख, दस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट विविध सेवाओं और प्रयोजनों के बारे में २०१० के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्ययन हेतु उस वित्तीय वर्ष के लिए उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकम की पूर्ति के लिए अदा की तथा लगायी गयी समझी जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि और उसमें से अदा की जाने और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए इकतीस मार्च, २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बद्ध में विनियोग किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	७७,३०,७९,०००	. . . .	७७,३०,७९,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	७७,३०,७९,०००	. . . .	७७,३०,७९,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन। . .	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	. .	१०,६९,७८,०००	. . . .	१०,६९,७८,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,३१,४५,०००	. . . .	१,३१,४५,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	. . . .	१,८१,७७,६५,०००	१,८१,७७,६५,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	१२,०१,२३,०००	१,८१,७७,६५,०००	१,९३,७८,८८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	. .	६८,२२,८९,०००	. . . .	६८,२२,८९,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		. . . .	१,२०,९०,०००	१,२०,९०,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	६८,२२,८९,०००	१,२०,९०,०००	६९,४३,७९,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	४५,२९,०००	. . . .	४५,२९,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	४५,२९,०००	. . . .	४५,२९,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२८,९४,०००	. . .	२८,९४,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २६०६, सहायक सामग्री और उपकरण।	. .	१,००,२३,४२,०००	. . .	१,००,२३,४२,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१,००,५२,३६,०००	. . . .	१,००,५२,३६,०००

योजना विभाग

ओ-३	ग्रामीण रोजगार।	. .	२५०५, ग्रामीण रोजगार।	. .	. . . .	३,१४,०००	३,१४,०००
ओ-१६	जिला योजना - रायगड।	. .	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,२५,१८,०००	. . . .	१,२५,१८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१७	जिला योजना - रत्नागिरी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	४,२४,०००	. . .	४,२४,०००

ओ-२२	जिला योजना -सोलापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय—अर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	४,९०,०५,०००	. . .	४,९०,०५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२४	जिला योजना — नासिक।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—अर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,५१,८८,०००	. . .	३,५१,८८,०००

ओ-२५	जिला योजना — धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—अर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,५५,९६,०००	. . .	१,५५,९६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना - जलगाँव।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय—अर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,३६,९४,०००	. . .	१,३६,९४,०००

ओ-३४ जिला योजना - लातुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	९०,८०,०००	. . .	९०,८०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४४	जिला योजना - अकोला।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४३५, परिस्थितीकी तथा पर्यावरण। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२,८१,००,०००	. . .	२,८१,००,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	१६,३६,०५,०००	३,१४,०००	१६,३९,१९,०००

		पर्यावरण विभाग				
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	८३,१८,०००	८३,१८,०००
		कुल—पर्यावरण विभाग।	. .	. . . .	८३,१८,०००	८३,१८,०००
		क—राजस्व लेखा पर व्यय।	. .	**२,७४,८८,६१,०००**	**२,२०,२४,५९,०००**	**४,९५,१३,२०,०००**
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।				
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत व्यय।	४४०१, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय।	. .	१८,०००	. . . .	१८,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	१८,०००	. . . .	१८,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	. . . .	१,०१,८५,९३,०००	१,०१,८५,९३,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	. . . .	१,०१,८५,९३,०००	१,०१,८५,९३,०००
		योजना विभाग				
ओ-१३	जिला योजना—मुंबई शहर	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. .	४८,२२,०००	. . .	४८,२२,०००
ओ-१४	जिला योजना—मुंबई उपनगर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	३,२६,०८,०००	. . . .	३,२६,०८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१५	जिला योजना—ठाणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	५२,७४,०००	. . . .	५२,७४,०००
ओ-१८	जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,७५,२८,०००	. . . .	१,७५,२८,०००

ओ-१९	जिला योजना—पुणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	४,१३,७१,०००	. . . .	४,१३,७१,०००
ओ-२१	जिला योजना—सांगली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,७६,०१,०००	. . . .	१,७६,०१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना—सोलापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१,४२,४७,०००	....	१,४२,४७,०००
ओ-२३	जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	३९,४८,०००	....	३९,४८,०००

ओ-२६	जिला योजना—जलगाव।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	७३,४६,०००	. . . .	७३,४६,०००
ओ-२८	जिला योजना—नंदुरबार।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८,१६,०००	. . . .	८,१६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२९	जिला योजना—औरंगाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,५०,३७,०००	. . . .	१,५०,३७,०००
ओ-३०	जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनोंओं पर पूंजीगत परिव्यय ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,०४,६७,०००	. . . .	२,०४,६७,०००

ओ-३१	जिला योजना—परभणी।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,६३,९१,०००	. . . .	२,६३,९१,०००
ओ-३२	जिला योजना—नांदेड।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	६,७५,८३,०००	. . . .	६,७५,८३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३३	जिला योजना—बीड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	८,७४,९३,०००	. . . .	८,७४,९३,०००
ओ-३४	जिला योजना—लातुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	६६,४१,०००	. . . .	६६,४१,०००

ओ-३५	जिला योजना—उस्मानाबाद।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	६,१५,३४,०००	. . . .	६,१५,३४,०००
ओ-३६	जिला योजना—हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८१,२८,०००	. . . .	८१,२८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना—वर्धा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८७,७२,०००	. . . .	८७,७२,०००
ओ-३९	जिला योजना—भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१५,३४,०००	. . . .	१५,३४,०००

ओ-४०	जिला योजना—चंद्रपुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,२६,६७,०००	. . . .	१,२६,६७,०००
ओ-४१	जिला योजना—गडचिरोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१२,२१,०००	. . . .	१२,२१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना—गोंदिया।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२,२४,३५,०००	....	२,२४,३५,०००
ओ-४३	जिला योजना—अमरावती।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	६३,०१,०००	....	६३,०१,०००

ओ-४५ जिला योजना—यवतमाल।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२९,३३,०००	. . . .	२९,३३,०००
ओ-४६ जिला योजना—बुलढ़ाणा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८३,६०,०००	. . . .	८३,६०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४७	जिला योजना—वाशिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,१८,२१,०००	. . . .	१,१८,२१,०००
			कुल—योजना विभाग। . .	५१,४८,७९,०००	. . .	५१,४८,७९,०००
			ख—पुंजी लेखे पर व्यय। . .	**५१,४८,९७,०००**	**१,०१,८५,९३,०००**	**१,५३,३४,९०,०००**
			कुलयोग। . .	**३,२६,३७,५८,०००**	**३,२२,१०,५२,०००**	**६,४८,४८,१०,०००**

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.